न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/एलआर/10048/2003/बाडमेर

बालसिंह पुत्र केसरसिंह जाति राजपूत (फौत) जरिये वारिसान
1 प्रेमकवंर बेवा बालसिंह
2 हंसराज सिंह पुत्र बालसिंह
3 जेठमालसिंह पुत्र बालसिंह
4 छोगसिंह पुत्र बालसिंह
5 कमलसिंह पुत्र बालसिंह समस्त जाति राजपूत निवासी बिढानी तहसील चौहटन जिला बाडमेर
6 स्वरूप कवंर पुत्री बालसिंह राहपूत निवासी बिढानी

अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार

प्रत्यर्थी

एकल पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री योगेन्द्रसिंह वकील अपीलार्थीगण
श्री सत्यनारायण सोलंकी उप राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः.8.6.2018

यह द्वितीय अपील धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर जैलसमेर द्वारा प्रकरण संख्या 37/98 में पारित निर्णय दिनांक 18.2.99 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैंकि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटी मृतक बालसिंह को ग्राम लडियाला की आराजी खसरा नम्बर 13/1 रकबा 50 बीघा 18 बिस्वा भूमि का आवंटन दिनांक 27.5.71 को किया गया। उक्त आवंटन को अवैध मानते हुए राज्य पक्ष तहसीलदार, चौहटन ने एक राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970 के नियचम 14(4) के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाडमेर के समक्ष प्रस्तुत किया। अतिरिक्त कलक्टर, बाडमेर ने निर्णय दिनांक 25.8.98 से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलार्थी के पक्ष में किये

गये आवंटन को निरस्त कर दिया। इसके विरूद्ध अपीलार्थी ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर–जैसलमेर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 18.2.99 से अपील खारिज करदी । इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अपीलार्थी को विवादित भूमि का आवंटन दिनांक 27.5.71 को किया गया था एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। अपीलार्थी आवंटी सदभावी काश्तकार होने से एवं राजस्थान का निवासी/ भारत का नागरिक होने से आवंटन किया गया है। आवंटन आवेदन पत्र पर पटवारी हल्का एवं तहसीलदार ने राजस्थान का निवासी होने की रिपोर्ट की है। प्रत्यर्थी ने निराधार रूप से अपीलार्थीगण को भारत का नागरिक नहीं होना कथन किया है एवं इसके समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। इसके विपरीत अपीलार्थीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय में परिवार राशनकार्ड व ग्राम सेवा सहकारी समिति का ऋण राहत योजना का प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत किये हैं। वर्ष 1971 में किये गये आवंटन को निराधार तथ्यों के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। यह अपीलार्थीगण के प्रति न्याय का हनन ही होगा। अतः अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अपीलार्थीगण भारत के मूल नागरिक नहीं है तथा 1965 में पाकिस्तान से विस्थापित होकर आये हैं। इन्हें अभी तक भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं हुई है जिससे अपीलार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन अवैध होकर धोखे से कराया जाना साबित है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने यह मानते हुए कि आवंटी भारत का नागरिक होना साबित नहीं कराया गया है, आवंटन निरस्त किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय की पत्रावली पर अपीलार्थी आवंटी की ओर से प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ निर्वाचक रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रफोर्मा –बी जिसमें चौहटन विधानसभ क्षेत्र के भाग संख्या 30 ग्राम देदूसर की वर्ष 1983 की मतदाता सूची में क्रम संख्या 154 पर बालसिंह आवंटी का नाम दर्ज होना बताया गया है। आवंटी बालसिंह का पहचान पत्र एवं वर्ष 1994 के निर्वाचक कार्ड एवं ग्राम सेवा सहकारी समिति मतेकालता द्वारा जारी राजस्थान कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना 1990 का

प्रमाण पत्र की फोटो प्रति आदि से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी का नाम भारत की मतदाता सूची में अंकित हैं एवं वह भारत का नागरिक की तरह निवास कर रहा है। इसके विपरीत वर्तमान प्रत्यर्थी द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह साबित अथवा स्पष्ट हो सके कि आवंटी बालसिंह भारत का नागरिक नहीं है। प्रत्यर्थी द्वारा केवल मात्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवंटन नियम 14(4) में आवंटी का भारत का नागरिक नहीं होने का कथन किया गया है परन्तु इसकी पुष्टि किसी भी साक्ष्य से नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र नियम 14(4) में लिया गया आक्षेप साबित नहीं होने से अपीलार्थी के पक्ष में वर्ष 1971 मे किये गये आवंटन को इतने लगभग 47 वर्ष बाद निरस्त किया जाना न्याय का हनन ही होगा। ऐसी स्थिति में हम यह अपील स्वीकार करना न्यायोचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील स्वीकार की जाती है एवं भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर–जैसलमेर का निर्णय दिनांक 18.2.99 व अतिरिक्त कलक्टर, बाडमेर का निर्णय दिनांक 25.8.98 निरस्त किये जाते हैं तथा आवंटी अपीलार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 27.5.71 यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य